अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या 185/2018

पीठासीन अधिकारी
श्री मोहर सिंह मीना (आर.ए.एस)

1.नहनूराम पुत्र भुवाना
2.नाथूलाल पुत्र भुवाना
3.रामकेश पुत्र श्रवण
4.राजेश पुत्र श्रवण
5.मु0 छोटी पत्नी स्व0 श्रवण
समस्त जाति मीना
निवासी कल्याणपुरा
तहसील रामगढ पचवारा
हाल राहूवास जिला दौसा
(वादीगण)

बनाम

1.मोहरपाल पुत्र भुवाना तथाकथित
पु. मु. नारायण
2.नन्दराम पुत्र भुवाना
3.रामकिशोर पुत्र देवीराम(फौत)
3/1 राकेश पुत्र रामकिशोर
3/2 लोकेश पुत्र रामकिशोर
3/3 सुरेश पुत्र रामकिशोर
4. लोहडीराम पुत्र देवीराम
5. कजोड पुत्र देवीराम
6. मु0 केशर पत्नी स्व देवीराम
फौत (नाम हजब)
7. मु0 भौरी पत्नी स्व हरसहाय
समस्त जाति मीना
निवासी कल्याणपुरा
तहसील रामगढ पचवारा
हाल राहूवास जिला दौसा
8. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार रामगढ पचवारा
हाल राहूवास जि0 दौसा
9. उपपंजीयक रामगढ पचवारा
हाल राहूवास जि0 दौसा
(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 24.02.23

वादीगण का वाद इस आशय से डिक्री किया जाता है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ पचवारा हाल राहूवास में स्थित खसरा नं0 55, 83, 99, 113, 114, व 117 कुल किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 14 बीस्वा एवं खसरा नं0 118 रकबा 20 बीघा 12 बीस्वा में हिस्सा 15/412 (15 बीस्वा) प्रतिवादीनी संख्या 7 को छोडकर तथा ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील रामगढ पचवारा हाल राहूवास में स्थित भूमि खसरा नं0 119 रकबा 3 बीघा 16 बीस्वा में वादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/6, 1/6 वादीगण संख्या 3, 4 व 5 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/6, 1/6 व प्रतिवादी संख्या 3, 4, व 5 का हिस्सा 1/6 के खातेदार उद्घोषित किये जाते हैं। राजीनामा निर्णय का पार्ट रहेगा। तद्नुसार डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा,दौसा

पीठासीन अधिकारी – मोहरसिंह मीना (आरएएस)

– उपखण्ड अधिकारी,रामगढ पचवारा

मुकदमा नम्बर – 185/18

दर्ज दिनांक :– – 06.07.2018

1. नेहनूराम पुत्र भुवाना
2. नाथूलाल पुत्र भुवाना
3. रामकेश पुत्र श्रवण
4. राजेश पुत्र श्रवण
5. मु0 छोटी पत्नी स्व0 श्रवण समस्त जाति निवासी कल्याणपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला–दौसा।

– (वादीगण)

बनाम्

1. मोहरपाल पुत्र भुवाना तथाकथित पु.मु. नारायण
2. नन्दराम पुत्र भुवाना
3. रामकिशोर पुत्र देवीराम (फौत)
   1/1 राकेश पुत्र रामकिशोर
   1/2 लोकेश पुत्र रामकिशोर
   1/3 सुरेश पुत्र रामकिशोर
4. लोहडीराम पुत्र देवीराम
5. कजोड पुत्र देवीराम
6. मु0 केशर पत्नी स्व0 देवीराम फौत (नाम हजब)
7. मु0 भौरी पत्नी स्व0 हरसहाय
   समस्त जाति मीना निवासी कल्याणपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला–दौसा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा हाल राहुवास
9. उपपंजीयक रामगढ पचवारा कार्यालय तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)

उपस्थित :– श्री अरूण गौड – अधिवक्ता वादीगण
श्री प्रशान्त शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद उद्घघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक .24.02.2023

संक्षेम में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा उनवानी प्रकरण वाद बाबत उद्घघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पारिवारिक वंशावली वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 निम्नानुसार दर्शाते हुए पेश किया कि –

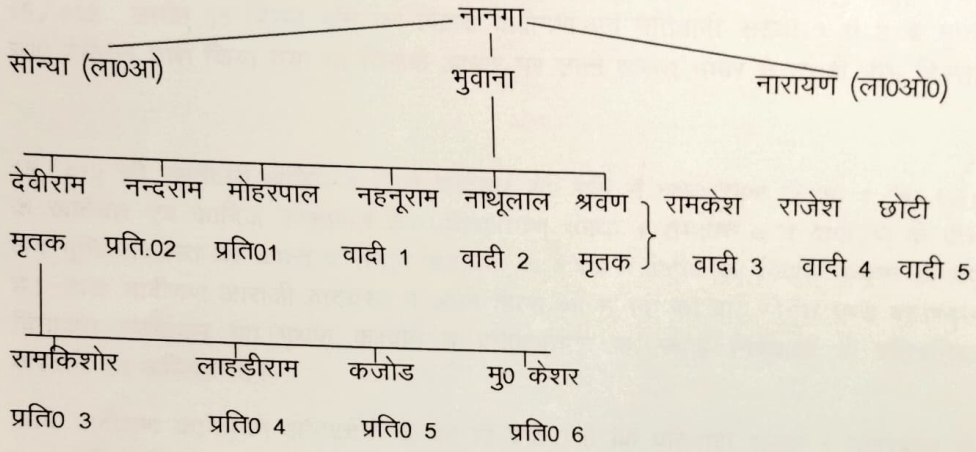

वादीगण संख्या 1 व 2 तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 55 में अंकित खसरा नम्बर 55, 83, 99, 113, 114 व 117 कुल किता 6 कुल रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा एवं खाता संख्या 56 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ पचवारा एवं आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम श्री रामचन्द्रपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है जिसे वादग्रस्त आराजी सम्बोधित किया गया है।

प्रतिवादी के अभिवचन है कि वादगस्त आराजी की खातेदारी पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज सव0 भुवाना, सोन्या व नारायण के नाम अंकित थी। नारायण की मृत्यु के बाद वर्तमान खाता संख्या 55 व 56 में अंकित आराजीयात् कुल रकबा 48 बीघा 06 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 26 पटवारी हल्का ने प्रतिवादी संख्या 01 मोहरपाल को स्व0 नारायण का दत्तक पुत्र बताकर दिनांक 18.04.1973 को भरा जिसकी दिनांक 04.06.1973 को भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा तुलना की गई तथा दिनांक 19.06.1973 को उपसरपंच ग्राम पंचायत कल्लावास द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 26 के आधार पर आराजी वादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या 01 मोहरपाल के नाम अंकित हिस्सा 1/2 के खातेदरी अंकिन वादीगण के मुकाबिले अवैघ एवं प्रभावशुन्य है क्योंकि उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा बिना पंजिकृत गोद पुत्र घोषित हुए ही किया गया था जिसका ग्राम पंचायत का अधिकार नहीं था। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण भरने के 45 दिन की समय सीमा में ही ग्राम पंचायत का नामान्कतकरण तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त होता है जबकि

उक्त नामान्तरकरण 62 दिन बात तस्दीक किया गया था। आराजी वादग्रस्त की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 मोहरपाल का नाम हिस्सा 1/2 मोहरपाल पि.मु. नारायण व हिस्सा 1/12 मोहरपाल पुत्र भुवाना के रूप में अंकित होने के कारण अभिलेख जमाबंदी में अंकन प्रथम दृष्ट्या ही त्रृटिपूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित उक्त प्रकार के खातेदारी अंकन के कारण वादीगण के हक अधिकार प्रभावित होने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिकृत रूप से जमाबंदी के दिखाउ अंकन के आधार पर आराजी वादगस्त के हस्तान्तरण के प्रयास व चेतावनीवश वादीगण द्वारा अपने अधिकारों का संरक्षण हेतु शीर्षक वाद प्रस्तत किया है। वादी संख्या 1 व 2 तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 5 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 आराजी वादग्रस्त में पृथक–पृथक हिस्सा 1/6, 1/6 के हकदार है। प्रतिवादिनी संख्या 7 को अराजी खसरा नम्बर 118 ग्राम कल्याणपुरा का हिस्सा 15/412 अर्थात् 15 बिस्वा भूमि का विक्रय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व मृतक स्व0 देवीराम द्वारा किया गया था जिसके आधार पर उक्त खसरा नम्बर मे उसके नाम हिस्सा 15/412 की खातेदारी अंकित है जिसे छोडकर शेष भूमि में पक्षकारगण हिस्सा 1/6, 1/6 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व वादीगण के बीच अब भूमि वादग्रस्त पर काश्त व लगान अदायगी के संबंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः वादीगण आराजी वादग्रस्त में अपने हिस्से की भूमियों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाकर का पृथक करवाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने को अधिकृत है।

आगे वादीगण का अपने अभिवचनों में यह भी कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहरपाल के नाम अंकित हिस्सा 1/2 अवैध है जिसे दुरस्त किया जाकर मुताबिक वादपत्र उदघोषित किया जाना न्यायार्थ है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 को कभी दत्तक नहीं लेने पर भी गोद पुत्र मानकर अवैध नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 19.06.1973 के आधार पर ही यह खातेदारी अंकन हुआ है जबकि नामान्तकरण से पक्षकारगण के अधिकारों का विनिश्चय नहीं हो सकता। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे हक अधिकार तय नहीं होते। आराजी वादग्रस्त वाकै ग्राम कल्याणपुरा को सव0 भूवाना के उततराधिकारीगण समान हिस्सा 1/6, 1/6 को काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। ग्राम कल्याणपुरा एवं श्रीरामचन्द्रपुरा स्थित उभयपक्ष की भूमि अविभाजित भूमि है।

वादीगण का यह भी कहना है कि नारायण एवं सोन्या ना0ओ0 फौत होने के बाद भुवाना के उत्तराधिकारी उसके 6 पुत्रों के नाम आराजी वादग्रस्त का इन्द्रजात हुआ। तदानुसार भुवाना के 6 पुत्रगण जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 भी शामिल है, प्रत्येंक का हिस्सा 1/6, 1/6 अंकित हुआ। देवीराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/12 एवं वादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का पृथक–पृथक हिस्सा 1/12 एवं सव0 श्रवण के 1/12 हिस्से का नामान्तकरण उसकी मृत्यु के बाद वादीगण संख्या 3 लगायत 5 के नाम अंकित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 मोहरपाल का हिस्सा 1/2 नारायण का पि0मु0 बताकर एवं हिस्सा 1/12 भुवाना का उत्तराधिकारी होने के कारण अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 निसंतान है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 प्रतिवादी संख्या 1 से षडयंत्र कर उसके हिस्से की भूमि वादग्रस्त अपने नाम हस्तान्तरित करवाने का प्रयत्नशील है।

इस प्रकार उक्त वाद बाबत उद्धघोषणा , विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनूसूची तृतीय के अनुच्छेद 5 व 3 तथा 23 सी के प्रावधानानुसार प्रस्तुत

कर खाता संख्या 55 में अंकित खसरा नम्बर 55, 83, 99, 113, 114, व 117 कुल किता–6 कुल रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा एवं खाता संख्या 56 में अंकित खसरा नम्बर 118 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है में से

प्रतिवादिनी संख्या 7 का हिस्सा 15/412 छोडकर एवं ग्रम रामचन्द्रपुरा तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा के वादीगण हिस्सा 1/6, 1/6 की खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के चाही है। साथ ही मुताबिक वादपत्र विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष यांछित किया है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 7 की और से वकील श्री प्रशांत शर्मा हाजिर आये तथा अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 08.02.2023 को राजीनामा पेश करते हुए उभयपक्षकारान् ने वाद डिक्री करने का निवेदन किया जिनकी आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी से उपस्थिति दर्ज की गई। वादीगण की पहचान् अधिवक्ता वादी श्री अरूण गौड द्वारा व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री प्रशांत शर्मा द्वारा की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा इस आशय का राजीनामा पेश किया है कि उभयपक्ष उनके पूर्वज नानगा के वारिशान है जिनके तीन पुत्र सोन्या ना0औ0 भुवाना, नारायण ना0औ0 तथा भुवाना के 6 पुत्र देवीराम, नन्दराम, मोहरपाल, नहनूराम, नाथूलाल, श्रवण जिनमें देवीराम व श्रवण की मृत्यु हो गई। वादीगण के पूर्वज नारायण नाऔलाद फौत हो गये, जिसका नामान्तरकरण बतौर दत्तक प्रतिवादी मोहरपाल के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.06.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 26 के आधार पर आराजी वादग्रस्त खाता संख्या 55 में अंकित भूमि खसरा नम्बर 55, 83, 99, 113, 114, व 117 कुल किता–6 कुल रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा एवं खाता संख्या 56 में अंकित खसरा नम्बर 118 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है में से हिस्सा 15/412 प्रतिवादिनी संख्या 7 को छोडकर तथा ग्रम रामचन्द्रपुरा तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा के वादीगण हिस्सा 1/6, 1/6 के वादीगण खातेदार है, में प्रतिवादी संख्या 1 मोहरपाल के नाम अंकित हिस्सा 1/2 की खातेदारी अंकन हो गये, जबकि मृतक नारायण पुत्र नानगा की सम्पत्ति में भुवाना के सभी लडको का बराबर हिस्सा 1/6, 1/6 अंकित होना चाहिए था। प्रस्तुत राजीनामे में यही भी कथन किये है कि वाद पत्र के चरण संख्या एक के शजरे में मु0 भौरी गलत अंकित हो गया है, उसके स्थान पर श्रवण अंकित होना चाहिए था। वादीगण संख्या 3, 4 व 5 मृतक श्रवण के वारिसान है। वादी संख्या 1 व 2 मृतक भुवाना के पुत्र है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मृतक भुवाना की पुत्र है तथा 3, 4, 5 मृतक देवीराम के वारिसान है।

इस प्रकार राजीनाम पेश करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 मोहरपाल के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 26 के आधार पर अंकित भूमि को गतल मानकर आराजी वादगस्त में वादी संख्या 1 व

2 का हिस्सा 1/6, 1/6 एवं वादी संख्या 3 ,4 ,5 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/6 अंकित फरमा की सहमति प्रकट कर मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण निर्णय एवं डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या

7 का हिस्सा जमाबंदी 15/412 रकबा 15 बिस्वा जिसका विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को किया गया है यथावत रहेगा। प्रतिवादी संख्या एक मोहरपाल की शेष जमीन मे पक्षकारगण का उक्तानुसार हिस्सा रहेगा। इस प्रकार राजीनामे पेश कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा इस प्रकार राजीनामा पेश करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 56 सम्वत 2071–2074, प्रदर्श–2 जमाबन्दी खाता संख्या 55 सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–3 जमाबन्दी खाता संख्या 12 सम्वत् 2074–2077, पदर्श–4 जमाबंदी खाता संख्या 57 सम्वत् 2071–2074, प्रदर्श–5 नामान्तरकरण 10, प्रदर्श–6 नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 19.06.1973, व प्रदर्श–7 नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 15.06.1989 आदि प्रदर्शित कराते हुए मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री करवाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा उभयपक्ष की उपस्थिति में पढकर सुनाया गया। सम्बन्धित अधिवक्ताओं के माध्यम से वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान करवाई गई। उभयपक्ष द्वारा राजीनामें के तथ्यों को सही एवं स्वीकार किये जाने पर उनकी मौजूदगी में राजीनामा तस्दीक किया गया। तदुपरान्त पत्रावली पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली आदेश नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने तर्क पेश किये कि मृतक नारायण की सम्पत्ति जो कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहरपाल के नाम अंकित हो गई थी, को लेकर यह वादपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। क्योंकि मोहरपाल को नारायण ने कभी गोद ही नही लिया था फिर भी मोहरपाल को गोद पुत्र मानकर मृतक नारायण की विरासत खोली गई। विद्वान अधिवक्ता वादी का यह भी कहना है कि प्रतिवादी मोहरपाल को उसके पिता भुवाना एवं नारायण की विरासत में शामिल किया गया है जो इस बात का पुख्ता आधार है कि उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही गतल की गई थी। और बात की स्वीकृति प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामे में भी दी गई है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एक हिन्दू परिवार के मध्य किया गया विधिक कौटुम्बिक समझौता है जिसे न्यायालय द्वारा मान्यता देनी चाहिए। तथा मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस एवं तर्को का खण्डन नही करते हुए मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की है।

हमने विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर गौर फरमाया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा यह वादपत्र प्रतिवादी संख्या 1 मोहरपाल के हिस्से में अंकित खातेदारी के संबंध में है जिसमें मोहरपाल को मृतक नारायण का गोदपुत्र बताकर नारायण की विरासत दर्ज की गई थी। वादीगण द्वारा प्रदर्शित साक्ष्य प्रदर्श–6 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि भलीभॉति होती है कि नारायण की मृत्यु के बाद गोद पुत्र के रूप में मोहरपाल को विरासत प्राप्त हुई है। तथा प्रदर्श–7 के अनुसार पाते है कि मृतक भुवाना की विरासत में भी मोहरपाल को शामिल किया गया है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति को दो विरासतों में शामिल किया गया है जो प्रश्न का कारण है। चूँकि प्रतिवादी द्वारा

वाद के कथनों का किसी भी प्रकार से खण्डन न करते हुए राजीनामा पेश करते हुए स्वीकारोक्ति ही दी है जो न्यायालय की दृष्टि में मोहरपाल का मृतक नारायण की विरासत में इन्द्रजात् अवैध करार देता है। प्रदर्शित साक्ष्यो के अवलोकन से आराजी जैर बहस उभयपक्ष की पैतृक सम्पत्ति होती है। यहॉ यह भी देखा जाना न्यायोंचित होगा कि क्या पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एक कौटुम्बिक समझौता है जिसे इस प्रकरण पर लागू किया जा सकता है इस तथ्य की अवधारणा के लिए विधि का अध्ययन किया गया।

विधि की भी यही मंशा है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा की गई व्यवस्था जिनके एक समान पूर्वज है या जो एक–दूसरे से सम्बन्ध रखते है परिवार में शांति बनाये रखने के लिए कुटुम्बिक समझौता के रूप में मान्य होनी चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिऐ।

पस्तुत प्रकरण में भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है तथा प्रकरण में उभय पक्षकारों द्वारा इसी भाति का एक कोटुम्बिक समझौता पेश किया है जिसे इस प्रकरण पर लागू किया जाना न्यायसंगत है इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उक्त विवेचनों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादीगण सारवान रूप से विधि सम्मत साबित होने पर वाद वादीगण राजीनामें को ध्यान में इस आशय से निर्णीत एवं डिक्री किया जाता है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित खसरा नम्बर 55, 83, 99, 113, 114, व 117 कुल किता–6 कुल रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 118 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा में से हिस्सा 15/412 प्रतिवादिनी संख्या 7 को छोडकर तथा ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा के वादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/6, 1/6 वादीण संख्या 3, 4, 5 हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/6 के खातेदार उद्घघोषित किये जाते है। राजीनामा निर्णय का पार्ट रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रामगढ पचवारा हाल राहुवास को आदेश दिये जाते है कि निर्णय व डिक्री अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का इन्दाज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर उभय पक्षों की मौजूदगी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोहर सिंह मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा जिला, दौसा